


जिला निबंधन कार्यालय, सीतामढ़ी

सूचना

भारतीय निबंधन अधिनियम संख्या - 16, 1908 की धारा - 85 के आलोक में वर्ष - 2011 एवं 2012 में निर्बंधित दस्तावेज जिला के सभी निबंधन कार्यालयों यथा सीतामढ़ी सदर, बेलसण्ड, पुपरी, परिहार, ढेंग एवं भुतही में बेदावी (Unclaimed) पड़े हुए है। ऐसे बेदावी दस्तावेजों को यदि कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया तो सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के पश्चात् सभी बेदावी दस्तावेजों को विनष्ट कर दिया जाएगा।

अतः अविलम्ब अपना चिरकुट (निबंधन अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रदत्त रसीद) समर्पित कर निर्बंधित दस्तावेज प्राप्त कर लें। इस सम्बंध में डाक द्वारा भी सूचना भेजी जा चुकी है।


समाहर्ता -सह- जिला निबंधक,
सीतामढ़ी।

